न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/5428/2005/चित्तौडगढ

1. बोतुलाल
2. नन्दा
3. कवलराम
4. लालूराम
   –पुत्रगण किशनलाल
5. मु0 मांगीबाई पत्नि तुलसीराम
   –समस्त जाति डांगी निवासीगण ग्राम ठीकरिया तहसील व जिला चित्तौडगढ

....................अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. राधू पुत्र उदा डांगी
2. रामा पुत्र उदा डांगी
3. मांगीलाल पुत्र मगना डांगी
4. चतरा पुत्र मगना डांगी
5. कानी पुत्री मगना डांगी
6. भंवरलाल पुत्र गणेशलाल डांगी
   –समस्त जाति डांगी निवासीगण ग्राम ठीकरिया तहसील व जिला चित्तौडगढ
7. तहसीलदार चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ

...................प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अशोकनाथ योगी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 06–08–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा अपील सं. 133/2003 में पारित किये गये निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26–07–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 53 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम ठीकरिया तहसील चित्तौडगढ स्थित वाद पत्र में उल्लेखित चरण संख्या 1 व 2 भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया। उक्त वाद इस आशय के साथ पेश किया कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजियात में से आराजी नम्बर 774 में से 0–27 हैक्टर एवं आराजी संख्या 796 में से 0–24 हैक्टर कुल रकबा 0–51 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे। इसके अतिरिक्त वाद पत्र में यह भी अनुतोष चाहा गया कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण कलम संख्या 5 में वर्णित उक्त कलमों के अनुसार बंटवारा कराये जाने की डिक्री पारित की जावे। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने अपना जवबादावा पेश कर अंकन किया कि जवाबदावा प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे में प्रतिवादीगण की सहमति को ध्यान में रखते हुए बिना विवाद्यक कायम किए आज्ञा दिनांक 31–03–2003 पारित करते हुए वादी के वाद को प्रमाणित नहीं होना कथित करते हुए खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2005 द्वारा अस्वीकार करते हुए प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2005 को यथावत रख दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित

उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26-07-2005 से व्यथित होकर अपीलान्ट/वादी ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स/वादीगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कहना है कि वाद पत्र में इस तथ्य को कि वादग्रस्त आराजियात पक्षकारान की पैतृक भूमि है तथा उनके मध्य 40 वर्ष पूर्व हुए पारिवारिक विभाजन में सभी के हिस्से पृथक-पृथक कर दिए थे तथा उक्तानुसार सभी मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसके अतिरिक्त जब प्रतिवादीण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाबदावे के माध्यम से स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में आदेश 12 नियम 6 सीपीसी एवं आदेश 15 नियम 1 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानानुसार न्यायालय का विधिक दायित्व था कि वह वाद को डिक्री करता परन्तु उक्त विधिक विनिश्चय को नहीं समझ कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनियमितता की है। उनका कहना है कि स्वीकारोक्ति सबसे उत्तम साक्ष्य है तथा उपरान्त स्वीकृत तथ्य को साबिक करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उनका तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा पेश अपील के विचारण के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी बाबत मामले से जुडे आवश्यक दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिए जाने बाबत पेश किया, जिसे नजरन्दाज कर अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि की है। जबकि इन दस्तावेजों को रेकार्ड पर लिए जाने में विपक्षी द्वारा कोई एतराज नहीं उठाया गया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं करने बाबत जो कारण दर्शित किए गए है, वह तर्कसम्मत नहीं है। यह भी तर्क दिया कि उनके द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजात पक्षकारान की विवादित आराजी से संबंधित होकर अपील के निर्णय के लिए अतिमहत्वपूर्ण व आवश्यक दस्तावेज थे। उनका मुख्य तर्क है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए अभिमत उनके नाम वर्तमान में 1-84 हैक्टर भूमि तन्हा रू से और 0-94 हैक्टर में आधा हिस्सा कुल

2–31 हैक्टर हिस्सा रह जाता है और शेष प्रतिवादीगण के नाम 0–47 हैक्टर भूमि दर्ज है। जबकि यदि वादी का दावा डिक्री होता तो 0–60 हैक्टर भूमि दर्ज होती, परन्तु दोनों न्यायालयों ने उपलब्ध समग्र रेकार्ड का अवलोकन किए बिना ही निर्णय पारित कर भूल की है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले दोनों न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26–07–2005 एवं विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2003 को निरस्त करते हुए वाद/वादीगण डिक्री किए जाने का निवेदन किया है।

5. हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपान्त अध्ययन किया।

6. प्रश्नगत प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादी ने अपने वाद में संलिप्त भूमि को मौरूसी प्रमाणित होने बाबत न्यायालय के समक्ष पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है अथवा नहीं?
–पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष अपीलार्थीगण/वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 53 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम ठीकरिया तहसील चित्तौडगढ स्थित वाद पत्र में उल्लेखित चरण संख्या 1 व 2 भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया। उक्त वाद इस आशय के साथ पेश किया कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजियात में से आराजी नम्बर 774 में से 0–27 हैक्टर एवं आराजी संख्या 796 में से 0–24 हैक्टर कुल रकबा 0–51 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे। इसके अतिरिक्त वाद पत्र में यह भी अनुतोष चाहा गया कि वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण कलम संख्या 5 में वर्णित उक्त कलमों के अनुसार बंटवारा कराये जाने की डिक्री पारित की जावे। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने अपना

जवबादावा पेश कर अंकन किया कि जवाबदावा प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे में प्रतिवादीगण की सहमति को ध्यान में रखते हुए बिना विवाद्यक कायम किए आज्ञा दिनांक 31-03-2003 पारित करते हुए वादी के वाद को प्रमाणित नहीं होना कथित करते हुए खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 26-07-2005 द्वारा अस्वीकार करते हुए प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-03-2005 को यथावत रखा है।

7. रेकार्ड का परीक्षण करने के बाद निम्नांकित बिन्दु दृष्टिगोचर होते हैः-

1. विवादित आराजी के कब्जे के बारे में चारों भाईयों की स्वीकारोक्ति है।

2. आराजी से संबंधित मौका रिपोर्ट प्रथम अपीलीय न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है।

3. सम्वत 2008 की जमाबंदी में चारों भाईयों के नाम का अंकन है।

4. उपलब्ध मौका रिपोर्ट में चारों भाईयों के नाम का अंकन है।

-विधि की मंशा के अनुसार वादी के वाद में यदि प्रतिवादीगण की सहमति हो तो न्यायालय को किसी भी प्रकरण का विधिक दृष्टिकोण से निस्तारण करने में इससे सशक्त साक्ष्य और कोई नहीं हो सकती। हस्तगत मामले में वादी के वाद को डिक्री किए जाने में प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति नहीं होना दर्शित किया है। प्रकरण में यह स्वीकृति स्थिति है कि वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में पेश वंशावली से यह निर्विवाद रूप से साबित है कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है तथा सभी का अपनी पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की वादग्रस्त भूमि में हक व अधिकार है तथा अभिलेख पर उपलब्ध रेकार्ड एवं नक्शा ट्रेस से वादग्रस्त भूमि की किस्म व स्थिति स्पष्ट है, इसलिए सभी पक्ष के द्वारा 40 वर्ष पूर्व बैठकर एक पारिवारिक समझौता किया है। रेकार्ड पर उपलब्ध मौका

रिपोर्ट दिनांक 19-09-2003 में अंकन इस प्रकार है कि किशना पि. देवा मृतक के बजाय नन्दा, बोतू, कंवलचंद, लालू पि. किशन मांगीबाई पुत्री किशना डांगी के कब्जेकाश्त की भूमि आराजी नम्बर 774 रकबा 0-42 हैक्टर तथा आराजी नम्बर 796/2 रकबा 0-24 दर्ज है। उक्त रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण राजकीय अभिलेख होने के साथ ही इसे एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा निर्मित्त किए जाने के कारण ऐसी रिपोर्ट को अन्यथा सिद्ध नहीं किया जा सकता। उक्त रिपोर्ट के अनुसार चारों भाईयों का आराजी पर कब्जाकाश्त है। विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष कि आराजी देवा की होती तो चारों लडकों का समान हक होता, जब वादी के वाद की प्लीडिंग्स के अनुसार दोनों ही खातों का कुल रकबा 2-78 हैक्टर में से 1-67 होता है तो उदा के वारिसान को दिया गया है। गणेश के वारिसान को 0-22 हैक्टर तथा मगना के वारिसान को 0-38 हैक्टर व वादी को कुल 0-51 हैक्टर भूमि दी जाना प्रकट होता है जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। वादी ने आराजी मौरूसी जायदाद होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य देवा पिता सोला के खाते की नकल जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है, जिससे भी आराजियात पैतृक होना प्रमाणित नहीं होता है। जिससे वादी आराजियात में कोई हक पाने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपना निष्कर्ष किस आधार पर दिया गया है, यह स्पष्ट नहीं होता है। आभास यह होता है कि विचारण न्यायालय ने बंदोबस्त विभाग की जमाबंदी सम्वत 2008 का अवलोकन भी नहीं किया है, जिसके अनुसार विवादित आराजी बाबत चारों भाईयों के नाम का अंकन है। अतः वादी के वाद में विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष से यह न्यायालय सहमत नहीं है।

8. हमारे समक्ष अपीलार्थीगण ने आक्षेप उठाया है कि विचारण न्यायालय ने आदेश 12 व नियम 6 व आदेश 15 नियम 1 सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। उक्त दोनों विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय का निर्णय उचित नहीं माना जा सकता।

9. सारांशतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए त्रुटिपूर्ण निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा पेश प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष

अपील में न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय गुणावगुण के स्थान पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 को मुख्य रूप से आधारित करते हुए पारित किया गया है तथा आक्षेपित निर्णय द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र को अपास्त किया है। जबकि आलोच्य प्रार्थना पत्र के संलग्नक प्रकरण के निस्तारण में महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकते है। अतः आलोच्य प्रार्थना पत्र को अपास्त करने के निर्णय से यह न्यायालय सहमत नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में गुणावगुण के बिन्दु बाबत विस्तृत विवेचन किए बिना विचारण न्यायालय के निष्कर्ष से किस प्रकार सहमत है, इस बाबत अपना दृष्टिकोण अंकित नहीं किया। अतः हमारी विनम्र राय में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि की भावना के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

10. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 236-07-2005 तथा उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-03-2003 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेंषित किया जाता है कि न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपरोक्त अंकन किए गए सिद्धान्तों की रोशनी में तथा खसरा संख्या 786 के मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्राप्त कर उक्त सम्प्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए तथा समग्र रेकार्ड का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण करते हुए समस्त पक्षकारों की समुचित रूप से सुनवाई सुनिश्चित करते हुए पुनः विधिवत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य